न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(ु)0न0 01/2023 तारीख रजूः– 02.01.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

(से)वाराम पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

बनाम

1. घमण्डी पुत्र रायसिंह
2. रामरूप पुत्र घमण्डी
3. सीताराम पुत्र रामजीलाल
4. गजराज पुत्र रामजीलाल
5. तेजराम पुत्र रामजीलाल
6. हंसराम पुत्र रामजीलाल
   समस्त जातियान मीना निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
7. बैक ऑफ राजस्थान क्षेत्रीय बैक शाखा बौल तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरुस्ती)

उपस्थितिः– श्री लखन लाल मीना एडवोकेट (वादी)
पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः– 05.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम (ड)ौरावली की आराजीयात ख0न0 756/0.25, 760/0.31 मे वादी 1/15 हिस्से का खातेदार [illegible] एवं पेन्दू पुत्र रामजीलाल खरीद के बाद से हिस्सा 1/6 का काश्तकार है। शेष (प्र)तिवादीगण का हिस्सानुसार खातेदारी दर्ज है। ख0न0 1048/0.09, 1049/0.19, 1058/0.(0)8, 1059/1.11, 1059/1504/0.06, 1060/0.99, 1061/0.75, 1073/0.46, 1101/0.99, (1)102/0.96, 428/0.28, 429/0.27, 429/1473/0.22, 430/0.08, 431/0.07, 432/0.12, (4)33/0.08, 435/0.04, 436/0.49, 437/1.02, 438/0.61, 439/0.06, 525/0.03, (5)26/0.08, 533/0.09, कुल किता 25 कुल रकवा 10.12 है0 मे वादी बहिस्सा 1/15 का (ख)ातेदार है एवं खदीद से बहिस्सा 1/6 दर्ज है परन्तु बहिस्सा 1/6 का इन्द्राज पेन्दू पुत्र (रा)मजीलाल के नाम से है। जबकि पेन्दू एवं सेवाराम वादी के ही नाम है। वादी के सारे (द)स्तावेज सेवाराम के नाम से मौजूद है।

वर्णित आराजीया तमे वादी का नाम पेन्[illegible] रहा है परन्तु सेवाराम (ए)वं पेन्दू वादी के नाम है गलती से वादी के [illegible] नाम [illegible] के [illegible] से रजिस्ट्री कर खाता (न)0 277 एवं 278 मे वादी के पेन्दू नाम को [illegible]

बॉका दिनांक 06.12.2023 को वादी ने [illegible]वादी न0 8 तहसीलदा(र) टोडाभीम के कार्यालय मे जाकर पेन्दू राम की दुरूस्ती के लिये कहा तो प्रतिवादी न0 8 तहसीलदार टोडाभीम ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

अतः दावा पेश कर निदेवन है कि आराजीयात ख0न0 756/0.25, 760/0.31 मे पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 को हजफ किया जाकर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6, तथा ख0न0 1048/0.09, 1049/0.19, 1058/0.08, 1059/1.11, 1059/1504/0.06, 1060/0.99, 1061/0.75, 1073/0.46, 1101/0.99, 1102/0.96, 428/0.28, 429/0.27, 429/1473/0.22, 430/0.08, 431/0.07, 432/0.12, 433/0.08, 435/0.04, 436/0.49, 437/1.02, 438/0.61, 439/0.06, 525/0.03, 526/0.08, 533/0.09, कुल किता 25 कुल रकवा 10.12 है0 पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 को हजफ किया जाकर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 7 व 8 उपस्थित हुये। प्रतिवादी न0 8 ने जबाब पेश किया कि ग्राम डौरावली के खाता संख्या 277 किता 2 रकवा 0.56 है0 मे पेन्दू का हिस्सा 1/6, खाता संख्या 278 किता 22 मे पेन्दू का हिस्सा 1/6 रिकार्ड दर्ज है। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2034–37 के खाता सख्या 175 मे नामा0 न0 157 के जरिये रमशी पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/3, आलौलाद फौत होने पर विरासत से पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6, व रामरूप पुत्र धमण्डी हिस्सा 1/6 दर्ज हुआ है। साबिक अगली जमाबन्दी सम्वत 2038–41 के खाता संख्या 176 मे मृतक रामजीलाल के स्थान पर जरिये विरासत नामां 37 दिनांक 23.5.92 के द्वारा सेवाराम, सीताराम, जगराम, हंसराम पि0 रामजीलाल हि.ब. 1/3 दर्ज हुआ है जिसका संवत 2038–41 की जमाबन्दी मे नोट अंकित है। रमसी के लाऔलाद फौत होने पर तत्समय पटवारी द्वारा नामांतकरण 157 के जरिये मृतक के भाई रामजीलाल के एक ही वारिस पेन्दू पुत्र रामजीलाल एवं दूसरा भाई घमण्डी के पुत्र रामरूप पुत्र घमण्डी के हिस्सेनुसार नामा0 दर्ज किया गया। पेन्दू पुत्र रामजीलाल तथा सेवाराम पुत्र रामजीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है। वादी के दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड मे वादी का नाम सेवाराम पुत्र रामजीलाल है। अतः पेन्दू पुत्र रामजीलाल के स्थान पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात मे 756/0.25, 760/0.31, 1048/0.09, 1049/0.19, 1058/0.08, 1059/1.11, 1059/1504/0.06, 1060/0.99, 1061/0.75, 1073/0.46, 1101/0.99, 1102/0.96, 428/0.28, 429/0.27, 429/1473/0.22, 430/0.08, 431/0.07, 432/0.12, 433/0.08, 435/0.04, 436/0.49, 437/1.02, 438/0.61, 439/0.06, 525/0.03, 526/0.08, 533/0.09, मे वादी बहिस्सा 1/15 का खातेदार है एवं खदीद से बहिस्सा 1/6 दर्ज है परन्तु बहिस्सा 1/6 का इन्द्राज पेन्दू पुत्र रामजीलाल के नाम से है। जबकि पेन्दू एवं सेवाराम वादी के ही नाम है। वादी के सारे दस्तावेज मे सेवाराम पुत्र रामजीलाल दर्ज है। इसलिये जमाबन्दी मे दर्ज पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 के स्थान पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 दर्ज किया [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली [illegible] शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम [illegible] सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 277 के क्र0स0 3 पर पैदू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/[illegible] तथा वादी का क्र0स0 4 पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/15, तथा खाता संख्या 278 के क्र0स0 7 पर पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 तथा वादी का क्र0स0 10 पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/15 दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ सलग्न वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

कार्ड न0 4660 4192 7854, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे.10/087/438102, परिवार राशन कार्ड न0 200002939543 मे सेवाराम पुत्र रामजीलाल निवासी ऐदलपुर का अंकन है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी अपने जबाब मे पेन्दू राम पुत्र रामजीलाल के स्थान पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत घोषणा खातेदारी (इन्द्राज दुरूस्ती) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम डौरावली की आरजी ख0न0 756/0.25, 760/0.31, 1048/0.09, 1049/0.19, 1058/0.08, 1059/1.11, 1059/1504/0.06, 1060/0.99, 1061/0.75, 1073/0.46, 1101/0.99, 1102/0.96, 428/0.28, 429/0.27, 429/1473/0.22, 430/0.08, 431/0.07, 432/0.12, 433/0.08, 435/0.04, 436/0.49, 437/1.02, 438/0.61, 439/0.06, 525/0.03, 526/0.08, 533/0.09, है0 मे दर्ज पेन्दू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सेवाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पेन्दू पुत्र रामजीलाल के 1/6 हिस्से पर बैक रहन बदस्तूर रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

कार्यालय-उपजिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:25 IST
Reason: SelfAttested